

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-18/15

प्रस्तुति दिनांक 28.08.2015

1. रघुनाथ प्रसाद पुत्र काशीराम आयु 53 साल
2. शंकर पुत्र मवासी आयु 57 साल समस्त जाति राठौर निवासीगण ग्राम गोहदी वार्ड नं0-16 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अपीलार्थी / वादीगण

विरुद्ध

1. सीताराम आयु 67 साल
2. भोलाराम आयु 52 साल,
3. मोहर सिंह आयु 50 साल,
4. ज्ञानसिंह आयु 37 साल पुत्रगण रामभरोसी
5. सुनील आयु 22 साल पुत्र मोहरसिंह समस्त जाति राठौर निवासीगण गोहदी वार्ड नं0-16 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....असल प्रतिवादी / प्रत्यर्थीगण

6. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

.....औपचारिक प्रत्यर्थी / प्रतिवादी

.....
न्यायालय प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के न्यायालय के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 02ए/15 में घोषित निर्णय दिनांक 30.07.2015 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

.....
अपीलार्थीगण द्वारा श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण क्र. 01 लगायत 05 द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 06 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 21.08.2017 को घोषित)

1. अपीलार्थी / वादीगण द्वारा यह अपील धारा-96 व्यवहार प्रक्रिया

संहिता के तहत न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 02ए/15 उनवान रघुनाथ प्रसाद एवं अन्य बनाम सीताराम एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 872 रकवा 15 बिस्वा स्थित मौजा गोहदी तहसील गोहद, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रंग की रेखाओं से रेखांकित कर अ, ब, स, द से चिह्नित किया गया है, के संबंध में प्रस्तुत किए गए स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निरस्त कर दिया गया है।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादीगण के यह अभिवचन रहे हैं कि वादीगण मौजा गोहदी के सर्वे क्रमांक 872 रकवा 0.60 हेक्टे0 कृषि भूमि के समान भाग के स्वत्व व आधिपत्यधारी है, जिसमें से 15 बिस्वा विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। वादीगण विवादित भूमि पर मई 2013 में गोबर की खाद डाल रहे थे, तभी प्रतिवादीगण ने एकत्रित होकर वादीगण को खाद डालने से मना किया एवं विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी थी। तब वादीगण ने न्यायालय अपर तहसीलदार गोहद में सीमांकन हेतु आवेदन किया था। जिसमें अपर तहसीलदार के आदेशानुसार राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने दिनांक 24.06.13 को मौके पर सर्वे क्रमांक 872 का सीमांकन किया एवं चतुर्सीमाएं समझाई थीं तथा सीमाचिन्ह लगाए थे। उक्त सीमांकन वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में किया गया था तथा मौके पर पंचनामा बनाकर फील्डबुक तैयार की गई थी। फिर भी प्रतिवादीगण नहीं माने। दिनांक 26.08.13 को प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर आए और झगड़ा करने पर आमादा हो गए एवं विवादित भूमि पर जबरन कब्जा कर खेती करने की धमकी दी थी। उक्त आधारों पर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई।

3. प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। मध्यप्रदेश शासन प्रकरण में अनुपस्थित होकर एकपक्षीय रहा है, उनकी ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 05 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए, वादीगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर किया गया है और यह अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि वादीगण के स्वामित्व की नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के समक्ष विवादित भूमि का सीमांकन नहीं कराया है। यदि प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में वादीगण ने पैमाईश करा ली हो, तो इससे वादीगण को बल प्राप्त नहीं होता है। प्रतिवादीगण ने अवैध सीमांकन के विरुद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जो लंबित है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
5. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किए गए तथा साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके समक्ष निम्नानुसार निष्कर्ष दिए गए:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादी विवादित सर्वे नंबर 872 रकवा 0.62 के मिन रकवा 15 बिस्वा मौजा गोहदी, परगना गोहद के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित नहीं।
2. क्या प्रतिवादीगण ने विवादग्रस्त भूमि से वादीगण को अवैधानिक रूप से बेदखल करने का प्रयास किया गया है ?	प्रमाणित नहीं।
3. क्या वादीगण ने दावे का उचित मूल्यांकन कर उस पर विहित न्याय शुल्क अदा किया है ?	हां
4. क्या इस न्यायालय को श्रवण अधिकार प्राप्त है ?	हां
5. सहायता एवं व्यय ?	वाद निरस्त किया गया।

6. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से अपनी अपील में एवं तर्क में प्रमुख आधार यह लिए गए हैं कि प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 01 मोहर सिंह ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि तीन बीघा वाले खेत के वादीगण रिकॉर्डेड भूमि स्वामी है तथा यह भी स्वीकार किया है कि खेत उनके पिता एवं चाचा ने वादीगण को बेचा था। उक्त तथ्य स्वीकृत थे, जिसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी साक्षी अतर सिंह प्र0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-04 में यह स्वीकार किया है कि सीमांकन के समय वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों पक्षकार

मौजूद थे। पंचनामा प्र0पी0-06 पर साक्षी रामबरन एवं राजाराम के हस्ताक्षर हैं एवं प्रतिवादीगण ज्ञानसिंह के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावे को पूर्णरूप से सिद्ध किया था, फिर भी विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निष्कर्ष वादी/अपीलार्थीगण के विपरीत निकालने में गंभीर भूल की है। विचारण न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचन नहीं करते हुए, दावा खारिज करने में गंभीर भूल की है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.15 को अपास्त कर वादीगण का दावा डिक्री करने की प्रार्थना की गई है।

7. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण के वाद में वादप्रश्न क्रमांक 01 व 02 पर उचित रूप से निष्कर्ष देते हुए, वाद निरस्त किए जाने में कोई भूल कारित नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधिअनुरूप है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं:-

1. क्या वादीगण भूमि सर्वे क्रमांक 872 रकबा 15 बिस्वा के स्वामी व आधिपत्यधारी हैं ?
2. क्या वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से रेखांकित अ, ब, स, द से चिह्नित भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि में ही शामिल है ?
3. क्या विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.15 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

सकारण निष्कर्ष

9. इस अपील में वादीगण की ओर से एक आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 तथा दो आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रस्तुत किए हैं, जिनका निराकरण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. दोनों आवेदनों में से आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 का निराकरण पहले किया जा रहा है।
11. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से व्यक्त किया है कि उन्होंने आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 प्रस्तुत किया है तथा उसके साथ सूची सहित दस्तावेज पेश किए हैं, जिसके संबंध में वादपत्र के पद क्रमांक 01 के बाद पद क्रमांक 1अ एवं 1ब के रूप में विवादित भूमि को जरिए विक्रयपत्र दिनांक 06.08.84 को क्रय करने तथा कब्जा देने एवं सर्वे क्रमांक 872 रकवा 0.62 हैक्टे0 का पूर्व सर्वे क्रमांक 809/1 मिन रकवा 0.62 हैक्टे0 के होने के संबंध में संशोधन समाहित किए जाने की प्रार्थना की गई है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण क्रमांक 01 लगायत 05 की ओर से आवेदन का घोर विरोध किया गया है तथा व्यक्त किया गया है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस तरह का कोई आवेदन पेश नहीं किया है और वादी का आवेदन इतने अधिक विलंब से है कि उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
12. उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वादीगण का वाद इस आधार पर निरस्त किया गया है कि वादीगण के द्वारा विवादित भूमि उनके पास आने के किसी स्रोत के संबंध में कोई दस्तावेजी सुदृढ़ साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जो संशोधन प्रस्तावित किए हैं, उनमें विवादित भूमि को जरिए विक्रयपत्र क्रय करना और विवादित भूमि का पूर्व सर्वे क्रमांक 988/1 मिन रकवा 0.62 हैक्टे0 होना बताया है। ऐसी स्थिति में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उक्त संशोधन वादपत्र के अभिवचनों में समाहित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परंतु वादीगण का यह आवेदन अत्यधिक बिलंब से प्रस्तुत किया गया है अतः आवेदन 500/—रुपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। इस आवेदन और इसके लिखित उत्तर की मूलप्रति मूल अभिलेख के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष भेजी जावे। विचारण न्यायालय में वादीगण उपस्थित होने के 10 दिवस के भीतर वादपत्र में उक्त अभिवचनों के संशोधन समाहित कर न्यायालय से प्रमाणित करावे, परंतु इससे पूर्व 500/—रुपए का हर्जा प्रतिवादीगण के अदा करे। हर्जा अदा न करने पर संशोधन समाहित करने की अनुमति प्रदान नहीं की

जाएगी। इस संबंध में प्रतिवादीगण यदि खण्डन में या पारिणामिक स्वरूप कोई संशोधन अपने परिवादपत्र में करना चाहें तो नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

13. अपीलार्थीगण के दोनों आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। अपीलार्थीगण की ओर से दोनों आवेदनों में विक्रयपत्र दिनांक 06.08.84 की प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा संवत् 2047 लगायत 2051, खसरा संवत् 2052 लगायत 2056 एवं खसरा 2057 लगायत 2061 की प्रमाणित प्रतिलिपियां को तथा रीनंबरिंग सूची मौजा गोहदी तथा खसरा संवत् 2036 लगायत 2040 की प्रमाणित प्रतिलिपि को अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना की गई है।
14. प्रत्यर्थीगण क्रमांक 01 लगायत 05 की ओर से लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थीगण के पास संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर था तथा अपीलार्थी क्रमांक 02 पढ़ालिखा व्यक्ति होकर शासकीय सेवा में नौकरी करता है। अपीलार्थीगण द्वारा सभी दस्तावेज लेकूना पूर्ति के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो कि साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है। उक्त आधारों पर दोनों आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
15. उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में से खसरा संवत् 2036 लगायत 2040 अर्थात् वर्ष 1979 लगायत 1983 के खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। जिसमें आशाराम बगैरह को अर्थात् प्रत्यर्थी क्रमांक 01 लगायत 03 के चाचा आदि को सर्वे क्रमांक 908/1 रकवा 0.627 हेक्टे0 अर्थात् तीन बिस्वा भूमि के भूमिस्वामी के रूप में दर्शाया गया है। दिनांक 06.08.84 के विक्रयपत्र के अनुसार उक्त सर्वे क्रमांक 908/1 रकवा 0.627 को अशाराम एवं रामभरोसे ने अपीलार्थी/वादीगण रघुनाथ एवं शंकर को विक्रय कर दिया है। रीनंबरिंग सूची के अनुसार उक्त सर्वे क्रमांक 908/1 मिन का नया नंबर 872 हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टि में प्रकट है कि उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 872 रकवा 3 बिस्वा प्रत्यर्थी क्रमांक 01 लगायत 04 के पिता रामभरोसी एवं चाचा आशाराम द्वारा वादीगण को विक्रय की गई थी।

16. न्याय दृष्टांत मलयालम प्लांटेशन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला व अन्य ए आई आर 2011 एस सी 559 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य निम्न तीन परिस्थितियों में ली जा सकती है :-

1. यद्यपि जो साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना चाहिये थी, विचारण न्यायालय द्वारा अवैध रूपसे उक्त साक्ष्य को लेने से इंकार कर दिया गया हो।
2. पक्षकारों के अथक परिश्रम के बावजूद भी उक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई थी।
3. वह साक्ष्य जो अपील कोर्ट को निर्णय घोषित करने योग्य बनती है और आवश्यक थी अर्थात इन्हीं प्रकार का कोई सारभूत कारण रहा हो।

अपील कोर्ट को लैकुना पूर्ति या केस के कमजोर बिन्दुओं की पूर्ति के लिये अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लेना चाहिये। अपील कोर्ट को उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कंसीडर करना चाहिये एवं फैसला लेना चाहिये। वही दूसरी ओर उपरोक्त तथ्यों व निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये उसकी प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुये अपील निराकृत करना चाहिये।

17. इस संबंध में अपीलार्थी का आवेदन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया गया। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए उक्त सभी दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज होना प्रकट होते हैं। जिसमें से सभी दस्तावेज वादीगण के द्वारा निर्णय दिनांक 31.07.15 के पश्चात 27.08.15, 28.08.15 एवं 01.09.15 को प्राप्त किए गए हैं। इन दस्तावेजों के संबंध में यद्यपि प्रत्यर्थी क्रमांक 01 लगायत 05 को साक्ष्य के खण्डन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त दस्तावेजों के संबंध में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना तथा उक्त दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात निर्णय घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

18. उक्त दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारों के बीच न्यायिक

निराकरण करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता इस न्यायालय को प्रतीत हो रही है। अतिरिक्त साक्ष्य का लिया जाना किसी लैकूना पूर्ति या किसी कमजोरी की पूर्ति के लिए लिया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के दोनों आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 250-250/-रूपए कुल 500/-रूपए के हर्जे पर स्वीकार कर उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिए गए। यह सभी दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष विवेचना किए जाने से रह गए हैं। इन सभी दस्तावेजों के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, बिना इन दस्तावेजों के तथा उनके संबंध में बिना साक्ष्य के जो निर्णय विचारण विचारण/अधीनस्थ ने दिया है तथा डिक्री पारित की है, वह उपरोक्त कारण से हस्तक्षेप किए जाने योग्य है। इस कारण उक्त आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.07.15 अपास्त किए जाने योग्य है।

19. जहां तक कि सीमांकन कर सीमांकन के संबंध में और विवादित भूमि के संबंध में चतुर्दिशाएं समझाए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में वादीगण के द्वारा न्यायालय के माध्यम से कोई सीमांकन ए.एस.एल.आर. या एस.एल.आर. के द्वारा कराए जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

20. इस मामले में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाना तथा दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने के पश्चात निर्णय घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से उक्त आलोच्य निर्णय/डिक्री दिनांक 31.07.15 को अपास्त किया जाता है। अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

21. यह प्रकरण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में विधिवत् उभयपक्ष की अतिरिक्त साक्ष्य ले तथा उन्हें खण्डन का अवसर दे, पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य एवं अतिरिक्त साक्ष्य की पुनः विवेचना करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय करे। प्रस्तुत किए गए संपूर्ण दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोप्रति अपीलार्थीगण प्रस्तुत करें, जो इस अपील प्रकरण में संलग्न की जावें।

दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां जो अपील में प्रस्तुत की गई हैं, वह मूल व्यवहार वाद के मूल अभिलेख के साथ विचारण न्यायालय की ओर प्रेषित की जाएं।

22. उभयपक्ष दिनांक 28.08.17 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित रहें।

23. इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 750/-रुपए लगाया जावे।

24. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)